न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 316–दो/2005 विरूद्ध आदेश दिनांक 28 जनवरी, 2005 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना – प्रकरण क्रमांक 10/2003–04 निगरानी

1– बॉकेलाल पुत्र ग्याप्रसाद
2– रामसहाय पुत्र ग्याप्रसाद
दोनों ग्राम मिहोनी तहसील
एंव जिला भिण्ड, मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

नाहर प्रसाद पुत्र ग्याप्रसाद
(फोत)वारिस
1– सूर्यनारायण 2– ब्रह्मानंद
3– सत्यनारायण 4– प्रमोदकुमार
5– बन्टी सभी पुत्रगण स्व.नाहरप्रसाद
6– श्रीमती बैकुण्ठी पत्नि स्व.नाहरप्रसाद
सभी ग्राम मिहोनी तहसील व जिला भिंड
7– ढिल्लीराम पुत्र ग्याप्रसाद निवासी
अटेर रोड बम्बा के पास शहर भिण्ड ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री रामसेवक शर्मा)
(अनावेदक के सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 4 – 1 –2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 10/2003–04 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28–1–2005 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि स्वर्गीय नाहर प्रसाद पुत्र ग्याप्रसाद ने ग्राम मिहोनी की भूमि सर्वे नंबर 112 रकबा 0.84 हैक्टर, सर्वे क्रमांक 115 रकबा 1.04 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) पर बसीयत के आधार पर नामान्तरण की मांग की। ग्राम पंचायत उदोतपुरा ने बसीयत के आधार पर प्रस्ताव क्रमांक 4 दिनांक 2-5-1991 से नामान्तरण कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड के समक्ष अपील क्रमांक 1/1991-92 प्रस्तुत की, जिसमें पारित आदेश दिनांक 22-6-99 से अपील स्वीकार कर नामान्तरण आदेश दिनांक 2-5-91 निरस्त किया गया तथा प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई हेतु तहसीलदार वृत्त पीपरी को प्रत्यावर्तित किया गया, तहसील न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 50/अ-6/ 98-99 पंजीबद्ध होकर अपर तहसीलदार ने पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 16-3-2001 पारित किया तथा वारिसानों के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर नामान्तरण कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के समक्ष अपील क्रमांक 41/2000-01 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनॉक 31-8-2001 से अपर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया एंव बसीयत के आधार पर अपीलांट का नामांत्रण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर भिण्ड के समक्ष निगरानी क्रमांक 130/2000-01 प्रस्तुत हुई, जिसमें पारित आदेश दिनांक 24-11-2003 से निगरानी निरस्त की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चंबल संभाग, ग्वालियर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत हुई। अपर आयुक्त ने प्रकरण क्रमांक 10/ 2003-04 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28-1-2005 से निगरानी स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनॉक

31-8-2001 एंव अपर कलेक्टर भिण्ड का आदेश दि. 24-11-2003 निरस्त कर दिया एंव अपर तहसीलदार का आदेश दिनांक 16-3-01 निरस्त कर ग्राम पंचायत के आदेश को स्थिर रखा। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक ने लेखी बहस प्रस्तुत की। लेखी बहस एंव निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ लेखी बहस एंव निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के परीक्षण पर स्थिति यह है कि वादग्रस्त भूमि के भूमिस्वामी सूवालाल थे जिनकी लावल्द मृत्यु हुई। मृतक सूवालाल आवेदकगण एंव अनावेदक (मृतक नाहरप्रसाद) के सगे चाचा थे , किन्तु उन्होंने मृतक नाहर प्रसाद के हित में बसीयत लिखी थी जिसके आधार पर ग्राम पंचायत व्दारा नामान्तरण किया गया था। इसके वाद अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड के अपील में हुये आदेश दिनांक 22-6-99 से तहसील न्यायालय में पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित हुआ है जहॉ उभय पक्ष को पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर मिला , किन्तु पक्षकार यह प्रमाणित नहीं कर सके कि स्व. नाहर प्रसाद के हित कर बसीयत किन कारणों से संदिग्ध है । बसीयत के प्रमाणित होने के वाद भी अपर तहसीलदार ने वारिसाना आधार पर त्रृटिपूर्ण आदेश पारित कर दिया तथा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनॉक 31-8-2001 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि उन्होंने बसीयत के आधार पर नये सिरे से नामान्तरण करने के आदेश दिये है और नायव तहसीलदार

ने इन आदेशों के पालन में आदेश दिनांक 19-9-2001 से नाहरप्रसाद का नामान्तरण किया है , किन्तु जब ग्राम पंचायत व्दारा पारित आदेश दिनॉक 2-5-1991 बसीयत के आधार पर है तब ग्राम पंचायत के आदेश को स्थिर क्यों नहीं रखा गया ? तहसीलदार का आदेश दिनांक 16-3-2001, 10-9-01 तथा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 31-8-2001 एंव अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 24-11-03 भ्रामक स्थिति में हैं जिसके कारण अपर आयुक्त, चंबल संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 10/2003-04 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28-1-2005 से उक्तादेशों को निरस्त करते हुये ग्राम पंचायत व्दारा पारित आदेश दिनॉक 2-5-1991 को यथावत् रखने में त्रृटि नहीं की है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चंबल संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 10/2003-04 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28-1-2005 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर